

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-1)


24 JUN 2010

क्रमांक एफ 4(28)ग्रावि/नरेगा/II/2009-10

जयपुर, दिनांक


संशोधित आदेश

विभागीय पत्र क्रमांक एफ 4(28)ग्रावि/नरेगा/II/2009-10 जयपुर, दिनांक 18.06.2010 को जारी निर्देश के बिन्दु संख्या-4 की पंक्ति-5 में उल्लेखित "डाक विभाग द्वारा ब्रांच पोस्ट ऑफिस की नगद राशि रखने की सीमा को रु. 20000/- से बढ़ाकर रु. 50000/- कर दिया गया है" में रु. 20000/- के स्थान पर रु. 25000/- पढ़ा जाये।


मुख्य लेखाधिकारी, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, मा. मंत्री, ग्रा. वि. एवं पं. राज विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रा. वि. एवं पं. राज विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल, राजस्थान सर्किल, जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस, जयपुर।
6. निजी सचिव, महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
7. निदेशक, डाक सेवाएं (मुख्यालय) राजस्थान सर्किल।
8. निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण विभाग, जयपुर।
9. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, नरेगा राजस्थान।
10. समस्त परियोजना अधिकारी (लेखा), जिला परिषद, ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ, राजस्थान।
11. मुख्य लेखाधिकारी, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
12. समस्त विकास अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी।
13. लेखाकार/ लेखा सहायक संबंधित पंचायत समिति। च
14. रक्षित पत्रावली।


मुख्य लेखाधिकारी, ईजीएस